रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-57/2024/717/22-2-2023-17(541)2023

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी केदार यादव (बन्दी सं0-32/2021) पुत्र श्री रामसुभग, पुरैना, थाना-श्यामदेउरवा, जनपद-महराजगंज का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-309/1988 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 16.03.1991 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.09.2019 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 29.08.2022 तक 01 वर्ष 09 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2024/717(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
3- पुलिस अधीक्षक महराजगंज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-279/2022 केदार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 30-03-2022 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in